

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238569  
SG-DL-E-02092022-238569

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 241
No. 407]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 241

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

फा. सं. 11(9)/प्रशा./वि.न्या. एवं विधा.का./2014/पीएफ/7372-7381.—नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) की धारा 2 के खंड (छ) तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नोटरी नियमावली, 1956 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उनके द्वारा अनुपालित की जाने वाली अपेक्षित अन्य शर्तों को पूर्ण करने की शर्त पर प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित नोटरियों के प्रैक्टिस प्रमाणपत्र के नवीकरण को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हैं:-

क्रम सं.	आवेदक का नाम	पंजीकरण सं.	वह क्षेत्र जिसमें उन्हें प्रैक्टिस क लिए प्राधिकृत किया गया है ।	नवीकरण की अवधि
1.	श्री इन्द्रजीत सिंह अरोड़ा निवासी सी-68, फार्मर अपार्टमेंट्स,	014/06	उत्तर-पश्चिम जिला	27.09.2021 से 26.09.2026

	सैक्टर- 13, रोहिणी, दिल्ली- 85			
2.	श्री जीत राम निवासी बी-4 / 183ए, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली ।	.....	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	20.01.2021 से 19.01.2026

यह अधिसूचना 2018 की रिट याचिका (सीविल) सं. 1043 "सन्नी आरोड़ा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य" में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 25.02.2019 के आदेश के अधीन एवं अनुसरण में जारी की जा रही है ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
रुचि अग्रवाल असरानी, विशेष सचिव

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st September, 2022

**F. No. 11(9)/Admn./LJ&LA/2014/PF/7372-7381.**—In exercise of the powers conferred by sub section(2) of section 5 read with clause (g) of section 2 of the Notaries Act 1952(53 of 1952), and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accord his ex-post facto approval to the renewal of certificate of practice of the following Notaries subject to the fulfillment of all other conditions required to be complied with by them under aforesaid Act and the Rules made there under for the period specified against their names.

Sl. No.	Name of the applicant	Reg. No.	Area in which He/She is Authorized to Practice	Period of Renewal
1	INDERJIT SINGH ARORA R/o C-68, Farmer Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-85	014/06	North West District	27/09/21 To 26/09/26
2	JIT RAM R/o B 4/183 A, Safdarjung Enclave New Delhi	-----	U.T of Delhi	20/01/21 To 19/01/26

This notification is being issued in pursuance to and subject to order dated 25.02.2019 passed by Hon'ble High Court of Delhi in W.P.(C) No. 1043 of 2018 "Sunny Arora Vs. Govt. of NCT of Delhi &Anr."

By Order and in Name of Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,  
RUCHI AGGARWAL ASRANI, Spl. Secy.